न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस

वाद संख्या – 183/2012
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 29.06.2018

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादी

बनाम

1. हुकमसिंह पुत्र जयराम जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. फूलसिंह पुत्र जयराम जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. रामदेव पुत्र जयराम जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. शेरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. जयदेव पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह. नदबई
7. श्रीमान् प्रबंधक महोदय, पी एन. बी. शाखा लखनपुर
8. नरेन्द्र पुत्र दीवान जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. गुड्डा पुत्र दीवान जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. भावसिंह पुत्र दीवान जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
11. इन्द्रा देवी पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
12. गुड्डी देवी पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
13. भूदेवी पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
14. कुसमी पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
15. फूलवती बेवा दीवानसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
1 श्री जगवीर सिंह एडवोकेट
2. श्री रामकिशन पूनिया एडवोकेट
3. श्री जगदीश एडवोकेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 1315 रकवा 0.19, 1319 रकवा 0.01, 1320 रकवा 0.76, 1321 रकवा 0.79, 1322 रकवा 0.25, 1323 रकवा 0.38, 1344 रकवा 0.26, 1345 रकवा 0.27, 1764 रकवा 0.25, 1766 रकवा 0.27, 1808 रकवा 0.13, 1810 रकवा 0.26, 1811 रकवा 0.25, 1812 रकवा 0.40, 1859 रकवा 0.39 कुल किता 15 कुल रकवा 4.86 हैक्ट. वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई स्थित है। एवं 1313 रकवा 0.01, 1314 रकवा 0.59, 1318 रकवा 0.30, 1398 रकवा 0.14, 1399 रकवा 0.25 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त आराजी संयुक्त परिवार की आराजी है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु प्रतिवादीगण चतुर व चालाक किस्म के हैं जिसके कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य सम्मिलित काश्त करना संभव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रेजात कायम कराने के अधिकारी हैं। कुर्रे प्राप्त होने पर कुर्रे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री जगदीश चंद एडवोकेट उपस्थित हुए। 8 लगायत 10 की ओर से श्री रामकिशन पूनिया उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी सं. 6, 7 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 व 8 लगायत 10 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया गया जिनका जवाब दावा बंद किया गया। वादी वकील द्वारा मौखिक बयान में लक्ष्मण, बिजेन्द्र, बुद्धाराम के बयान पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली लोक अदालत कैम्प अटारी दिनांक 12.05. 2016 को पेश की गई। जिसमें दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री कर नायब तहसीलदार लखनपुर को 500 रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजीयात के वाद पत्र में दर्ज नम्बरानों का बाई मीट्स एंड वाउन्ड के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात् के कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किये गये। नायब तहसीलदार लखनपुर द्वारा अपने पत्रांक एल आर / 17 / 166 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा भिजवाये गये जो शामिल पत्रावली किये गये तथा बहस कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। जिसमें अनेक आक्षेप प्राप्त हुए तथा पुनः तहसीलदार नदबई को दि. 06.03.2017 को पुनः कुर्रा रिपोर्ट मौके व कब्जे के अनुसार तैयार करने हेतु आदेशित किये गये।
तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 25.04.2017 की पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दावा वादी मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रा रिपोर्ट का अवलोकन कब्जा व मौका के अनुसार तैयार की गई। दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित है। अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार नदबई के पत्रांक दिनांक 25.04.17 के अनुसार डिक्री किया जाता है। कुर्रा रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प बछामदी पर सुनाया गया। पत्रावली फैसल ुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

^ डॉ.राजेश गोयल~
सहायक कलक्टर
नदबई^ भरतपुर~

Web Copy Not Official